भारत सरकार

इस्पात मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2467

21 दिसंबर, 2022 को उत्तर के लिए

इस्पात विनिर्माताओं का मूल्यांकन

2467. श्री दयानिधि मारन:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में इस्पात विनिर्माताओं की वर्तमान स्थिति के संबंध में कोई अध्ययन अथवा मूल्यांकन किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सही है कि इस्पात के आयात में वृद्धि की वजह से इसकी उच्च आदान लागत के कारण घरेलू विनिर्माताओं के लिए विदेशी विनिर्माताओं के साथ प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो रहा है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत पाँच वर्षों के दौरान इस्पात के आयात, निर्यात और घरेलू उत्पादन का माह-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा घरेलू इस्पात विनिर्माताओं के संवर्धन और संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) क्या भारतीय इस्पात संघ (आईएसए) ने इस्पात के आयात को कम करने के लिए विश्व व्यापार संगठन के अनुरूप उपायों की माँग की है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में विचाराधीन नीतियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री **(श्री फग्गन सिंह कुलस्ते)**

(क) से (घ): इस्पात एक नियंत्रणमुक्त क्षेत्र है। इस्पात का उत्पादन विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है और उत्पादन लागत इनपुट लागत के आधार पर हर संयंत्र में भिन्न-भिन्न होती है। घरेलू इस्पात उद्योग को सस्ते और डंप किए गए आयातों से बचाने के लिए पाटन-रोधी शुल्क (एडीडी), प्रतिकारी शुल्क (सीवीडी) जैसे व्यापार उपचारात्मक उपायों को लागू करने के साथ-साथ इस्पात उत्पादों और कच्चे माल पर मूल सीमाशुल्क में अंशशोधन (कैलिब्रेशन) किया जाता है, ताकि भारत के इस्पात

क्षेत्र की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा दिया जा सके। देश में तैयार इस्पात के उत्पादन, खपत और निर्यात का माह-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** में दिया गया है।

सरकार इस्पात क्षेत्र को नीतिगत सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करके समर्थकारी वातावरण सृजित करते हुए एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करती है। सरकार ने घरेलू इस्पात विनिर्माताओं को बढ़ावा देने और संरक्षण प्रदान करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

(i) राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ रणनीतिक अनुप्रयोगों के लिए इस्पात और हाई-ग्रेड ऑटोमोटिव स्टील, विद्युत इस्पात, विशेष इस्पात एवं मिश्र-धातु की समग्र माँग को घरेलू स्तर पर पूरा करने की परिकल्पना की गई है, को अधिसूचित करना।

(ii) मेड इन इंडिया इस्पात की अधिप्राप्ति को बढ़ावा देने हेतु घरेलू रूप से विनिर्मित लौह एवं इस्पात उत्पाद (डीएमआई एंड एसपी) नीति को अधिसूचित करना।

(iii) पूँजीगत निवेशों को आकर्षित करके देश में विशेष इस्पात के विनिर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए 6,322 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ विशेष इस्पात के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना को अधिसूचित करना।

(iv) गैर-मानकीकृत इस्पात के विनिर्माण और आयात को बंद करने के लिए इस्पात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करना।

(ङ): व्यापार उपचार महानिदेशालय (डीजीटीआर), जो वाणिज्य विभाग के अंतर्गत एक अर्ध-न्यायिक निकाय है, इस्पात उद्योग द्वारा दायर याचिकाओं के आधार पर और स्वप्रेरणा से समय-समय पर जाँच (पाटन-रोधी, प्रतिकारी, सुरक्षा आदि) करते हैं। डीजीटीआर के निष्कर्षों और सिफारिशों का सरकार द्वारा इस्पात के ऐसे ग्रेडों के घरेलू उत्पादन, कीमत और उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, अधिसूचना के लिए विश्लेषण किया जाता है।

****

अनुलग्नक-I

माह	कुल तैयार इस्पात की मात्रा ('000 टन में)														
	2021-22			2020-21			2019-20			2018-19			2017-18		
	उत्पादन	आयात	निर्यात	उत्पादन	आयात	निर्यात	उत्पादन	आयात	निर्यात	उत्पादन	आयात	निर्यात	उत्पादन	आयात	निर्यात
अप्रैल	9266	364	951	1571	407	429	8674	620	516	8040	598	573	7551	504	747
मई	8481	393	1237	5521	539	1284	9043	554	459	8157	620	445	7522	558	641
जून	8730	402	1369	6943	266	1552	8825	628	357	8333	678	378	7238	644	648
जुलाई	8790	410	1512	8131	293	1376	8613	796	602	8162	759	530	7531	798	770
अगस्त	9341	396	1331	8557	161	1039	8359	855	983	8255	671	716	7758	1005	924
सितंबर	9330	409	1354	8538	318	864	8106	565	1019	8295	675	590	7666	811	1119
अक्टूबर	9850	378	1055	9145	362	555	8323	630	950	8621	679	594	7889	602	778
नवंबर	9234	312	722	9034	351	598	8574	429	867	8389	681	482	7968	614	1012
दिसंबर	10079	395	798	9912	512	617	9223	437	767	8714	548	368	8278	562	964
जनवरी	10309	450	814	9697	582	523	9115	477	694	8743	638	475	8672	355	615
फरवरी	9590	411	1157	9051	460	655	8565	401	570	8285	583	619	7999	547	693
मार्च	10598	351	1195	10105	500	1292	7200	376	573	9293	705	592	8937	483	708
कुल	**113597**	**4669**	**13494**	**96204**	**4752**	**10784**	**102621**	**6768**	**8355**	**101287**	**7835**	**6361**	**95010**	**7483**	**9620**

स्रोत : संयुक्त संयंत्र समिति (जेपीसी)